भारत और जी 20
विकास के संदर्भ में विश्लेषण

HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG
INDIA

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

भारत और जी 20
विकास के संदर्भ में विश्लेषण

लेखक : वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

नवम्बर 2019

कॉपीराइट © वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
The content of this book can be reproduced in whole or in parts with due acknolwedgement to the publisher.

प्रकाशक :
वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट, सैक्टर, द्वारका,
नई दिल्ली 110 077
फोनः 011–40391661, 40391663
टेलिफैक्सः 011–49148610
ईमेल : info@vaniindia.org वेबसाइट : www.vaniindia.org

@TeamVANI

@vani_info

डिजाइनिंग :
वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

विषय सूची

i	प्रस्तावना	2
ii	कार्यकारी सारांश	3
iii	परिचय	5
iv	स्वास्थ्य	9
v	शिक्षा	12
vi	पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन	15
vii	लिंग	18
viii	भारत की वित्तीय वास्तुकला	21
ix	संरचनात्मक विकास	24
	निष्कर्ष	27
	सन्दर्भ	29

प्रस्तावना

जी 20 दुनिया भर में भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली शक्तियों के रूप में एक मजबूत और महत्वपूर्ण बहुपक्षीय रूप में उभरा है। अपनी 10 साल की यात्रा में इसने वैश्विक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्यों और मील के पत्थर को परिभाषित किया है। एक मजबूत विकासशील देश के रूप में भारत जो दुनिया के भविष्य के विकास और विकास का केंद्र बनने के लिए आकस्मिक रूप से करीब है, विशिष्ट आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अभिन्न है। यह भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के साथ 2022 में जी 20 आयोजित करने के अपने प्रतिज्ञान के साथ मेल खाता है। इन वर्षों में, भारत ने आर्थिक और विकास एजेंडा के अपने लक्ष्य को आगे रखा है, जो कि उसके भविष्य के विकास और स्थिरता के लिए गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे, जी 20 भारतीय गणराज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होगी; चूंकि यह पहली बार होगा जब दुनिया वैश्विक भू-राजनीति के भविष्य की दिशा में भारत के लिए उतरेगी और बहुपक्षीय सहयोग पर जुटेगी। इसके अनुसार, विकास पहलों में निवेश करने वाले कई हितधारक भारत की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जी 20 की अधिकांश बैठकें वैश्विक उत्तर तक ही सीमित हैं। पिछली जी 20 बैठकों में, भारत एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, सतत विकास के लिए सामूहिक कार्रवाई और विकासशील आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए उत्सुक से रहा है। काफी हद तक, इसने अपने स्वयं के विकास अंतराल को बंद करने और महत्वपूर्ण मील के पत्थर को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं जो कि जी 20 द्वारा प्रतीत करते हैं। इस रिपोर्ट में अवलोकन योग्य यह है, जो वर्षों में विकासात्मक चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं को रेखांकित करता है। गंभीर रूप से रिपोर्ट में जी 20 पर उठाए गए विकास के मुद्दों और भारतीय सरकार के विधानों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वितरित उनके सापेक्ष नीति कार्यों की जांच की गई है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में जबर्दस्त अंतराल होते हुए, रिपोर्ट समाज के सहूलियत बिंदु से सुझाव की एक सूची को संकलित करती है। इसके अलावा, रिपोर्ट का इरादा जी 20 में भारत की प्रतिबद्धताओं और उनकी अनुवर्ती गतिविधियों पर नज़र रखने का है। जबकि बहुत कुछ हासिल किया जाना है, एसडीजी 17 की तर्ज पर एक सार्थक भागीदारी तंत्र को विकास के लिए जी 20 उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के लिए, मैं हमें इस दस्तावेज़ को तैयार करने में मदद करने के लिए इसके समर्थकों को धन्यवाद देना चाहूंगा- हेनरिक बोएल फाउंडेशन और उनके भारत प्रमुख सुश्री मैरियन रेजिना मुलेरंड सुश्री शालिनी योग शाह, उप निदेशक को। रिपोर्ट लिखने के लिए मैं कार्यक्रम प्रबंधक श्री अर्जुन फिलिप्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

2022 में एक सफल जी 20 की ओर!

हर्ष जेतली

सीईओ, वाणी

कार्यकारी सारांश

भारत अपने अभूतपूर्व आर्थिक विकास, सकारात्मक विकास प्रक्षेपक और भविष्य की विकास क्षमता के आधार पर वैश्विक बहुपक्षवाद में तेजी से प्रभावशाली होता जा रहा है। जब से जी 20 अस्तित्व में आया है, इसने अपने सालाना एजेंडे को वापस लिया है जो राष्ट्रीय और वैश्विक वास्तविकताओं से परिलक्षित हैं और रियलपोलिटिक आकलन पर आधारित हैं। हाल के वर्षों में, यह जी 20 के लिए अपने महत्वपूर्ण चरित्र के कारण बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जो सभी प्रकार के हितधारकों के लिए खुला है और द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, चतुर्भुज कूटनीति और साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करता है। इसने प्रमुख वैश्विक नीतिगत पहल को रेखांकित करने में भारत को इस बहुपक्षीय और गतिशील बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे प्रेरित होकर, इसने एक अनुकूल वित्तीय व्यवस्था के लिए पिचिंग पर एक वैश्विक बढ़त ले ली है, सतत विकास सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और विकासशील दुनिया के हितों की रक्षा करना। 2011 की बात करें तो भारत की प्राथमिकताओं ने विकास और वित्त दोनों को अच्छी तरह से निपटाया है। महत्वपूर्ण रूप से भारत ने गरीबी के अंतराल को कम करने, अविकसितता को कम करने, महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित करने, बेरोजगारी से निपटने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए निर्धारित प्रयास किए हैं। संरचनात्मक स्तर पर प्रभाव पूर्ववर्ती वित्तीय अनिवार्यता है जिसका उद्देश्य उद्योग और वाणिज्य के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है जो कि वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था में शीर्ष जीडीपी योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उभरने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इन संदर्भों के आधार पर, यह 2022 में देश की आजादी के 75 वर्षों के संयोजन में जी 20 देश-विभाग की मेजबानी करेगा। अनिवार्य रूप से यह विश्व मंच पर भारत के कद को आगे बढ़ाएगा और इसकी विदेश नीति प्रतिमान के पाठ्यक्रम को बदलने और दक्षिण एशिया में इसके नेतृत्व को बढ़ाने के लिए निर्धारित है। इसकी भारत सरकार द्वारा 2022 तक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए, सुधारवादी उपायों की एक सारणी के माध्यम से अच्छी तरह से पुष्टि की गई है जो उपभोग, व्यय को प्रोत्साहित करती है और विदेशी निवेश को आकर्षित करती है। हालांकि, आलोचकों ने दृढ़ता से राय रखी है कि इष्टतम लक्षित स्तरों तक पहुंचने के लिए मात्रा और गुणात्मक रूप से उत्तरदायी हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसलिए 2022, भारत के विकास की संभावनाओं को उजागर करने वाले विकास के सपनों को साकार करने का बहुत अवसर प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ शुरू करने के लिए भविष्य की नीति पक्षाघात और विफलताओं से बचने के लिए नीति प्रतिबद्धताओं के पिछले अनुभवों पर संरचनात्मक समझ तैयार करने की आवश्यकता है जो इन अभ्यासों को निरर्थक कर सकते हैं। इस प्रकार, यह अध्ययन 2020 के रोडमैप को बनाने के लिए उनके घरेलू कार्यान्वयन पर 2011 के बाद से भारत के विकास के दस्तावेज और विश्लेषण को अधिकृत करने का एक प्रयास है। उद्देश्य- यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2022 तक, भारत के प्रदर्शन के लिए जमीन तैयार हो जाए, विकास प्राथमिकताओं पर अपनी प्रगति पर दुनिया और अनुकरण करने के लिए विकासशील दुनिया के लिए रोल मॉडल हो। महत्वपूर्ण रूप से, भारतीय समाज 2030 तक प्रभावी रूप से एसडीजी तक पहुँचने और विकास अंतराल को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक है। जी 20 संपर्क समूह सिविल 20 या सी 20 के माध्यम से, यह अपने क्षेत्र स्तर के डेटा, अनुभवों, सेवा का उपयोग करेगा। वास्तव में, रिपोर्ट भारत को एक समावेशी, आर्थिक और विकसित राष्ट्र बनाने की आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हासिल हुआ है, वह आने वाले वर्षों में एक व्यापक-आर्थिक परिव्यय प्रस्तुत करता है।

वर्ष	जी 20 सम्मेलन	G20 में भारत की प्राथमिकताएँ
2011	कॉन, फ्रांस	कर-संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान; आईएमएफ का समर्थन; औद्योगिक और विकासशील देश में सतत विकास; संरचना निवेश और राजकोषीय घाटा कम करना; अर्थव्यवस्था में वृद्धि और वित्तीय समावेशन
2012	लॉस काबोस, मेक्सिको	आईएमएफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट, रेगुलेटरी रिफॉर्म, खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादकता के मुद्दे, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों का समर्थन
2013	सेंट पीटर्सबर्ग, रूस	विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, मुद्रा की अस्थिरता, राष्ट्रीय उद्देश्यों द्वारा निर्देशित मौद्रिक नीतियां
2014	ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया	आर्थिक विकास, संरचना विकास और रोजगार
2015	अंताल्या, तुर्की	आतंकवाद और शरणार्थी; लचीलापन और वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बढ़ाना; समावेशी विकास, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास रणनीतियां, रोजगार और निवेश रणनीतियां
2016	हांग्जो, चीन	आर्थिक एजेंडा (अतिरिक्त क्षमता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण, बहुपक्षवाद का समर्थन); ब्रेक्सिट और इसका प्रभाव, एएमआर की समस्या; कर चोर; वैश्विक आतंकवाद
2017	हैमबर्ग जर्मनी	वैश्वीकरण, भवन निर्माण लचीलापन, स्थिरता, उत्तरदायित्व के लाभों को साझा करना
2018	ब्यूनस एयर्स, अर्जेंटीना	भगोड़े आर्थिक अपराध और संपत्ति की वसूली; कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, अंतरिक्ष, रक्षा, तेल और गैस और नागरिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग; वैश्वीकरण और बहुपक्षवाद; विकास और स्थिरता
2019	ओसाका, जापान	डिजिटल अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार संगठन में सुधार, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास

परिचय

वैश्विक मोर्चे पर जी 20 के तेजी से आगे बढ़ने ने इसे सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला मंच बना दिया है जो घरेलू नीति कार्यों को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। मुख्य रूप से क्योंकि यह सभी बहुपक्षीय देश समूहों जैसे कि जी 7, ब्रिक्स और एमआईसीटीए के लिए एक संमिलन बिंदु है। विश्व नेताओं के एक अनौपचारिक समूह के रूप में- यह एक सहभागी, समावेशी और खुले हितधारक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जो उद्यमियों के स्पेक्ट्रम (वर्णक्रम) से इनपुट (तथ्य) मांगता है। उल्लेखनीय रूप से जी 20 अपने वार्षिक प्रस्तावों को तैयार करने के लिए सिविल 20 जैसे समूहों पर निर्भर करता है। 2011 में सियोल विकास सहमति के बाद से, जी 20 क्रमिक रूप से यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि दीर्घकालीन विकास अपने नीतिगत मुद्दों के लिए आधारशिला बनाये । इसने 2030 एजेंडा ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट - जी 20 एजेंडा को 2030 एजेंडा के साथ संरेखित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे को जी 20 की कार्ययोजना में शामिल कर लिया है। विकास संकेतकों की बहुता के कारण विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जी 20 द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व महत्वपूर्ण है। अनुबंध समूह के रूप में सी 20 या सिविल 20 सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को विकसित करने और जी 20 को प्रभावित करने के लिए संसाधन मंच के रूप में वकालत करता है। अध्ययन में विशेष रूप से इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, लिंग, भ्रष्टाचार, अवसंरचना, वित्तीय वास्तुकला, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश। अपने गठन के बाद से सी 20 वैश्विक विकास के मुद्दों को एकत्र कर रहा है और इसे जी 20 के विकास और वित्त क्षेत्रों में शामिल कर रहा है।

2022 तक, भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर के ग्रोथ बेंचमार्क तक पहुँचने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू अनुमान से 6.7% कम प्रोजेक्शन का 2.3% अंक बढ़ने की उम्मीद है। इस तक पहुंचने के लिए, कई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसके साथ एकीकृत न्यू इंडिया की रणनीति इंडिया थ्रू के लिए निर्धारित विजन है, जिसका उद्देश्य विकास की वांछनीय स्तरों तक पहुंचने के लिए घरेलू क्षमताओं को बढ़ाना है। 2011 के बाद से, भारत ने खुद को जी 20 नेताओं द्वारा अपनाए गए संकल्पों के साथ जोड़ दिया और मानव विकास को लक्षित करने वाली, समान जलवायु विकास को कम करने वाले और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली समान नीतिगत कार्रवाइयां कीं। इसके लिए पूरक कर बढ़ोतरी है जिसने विकास के प्रयासों के लिए राजस्व बढ़ाने में मदद की है। कर रोपण जी 20 पर चर्चा का एक प्रमुख विषय रहा है जिसमें लगभग सभी अनुबंध समूहों का महत्वपूर्ण रुझान देखा गया है। रिपोर्ट के उद्देश्यों के लिए 2015 में एजेंडा 2030 को आधिकारिक रूप से अपनाने के बाद सरकार की ओर से स्थायी विकास को फोकस / केंद्र प्राप्त हुआ, जबकि 2011 से आंकड़ों की जांच की गई। यह उल्लेखनीय है कि 2014 के बाद एक नीतिगत प्रतिबद्धता के रूप में व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था, इससे पहले भारत वित्तीय हितों पर चिंता जताता रहा है जो उसके हितों की रक्षा करता है। हालाँकि, भारत का हालिया जी 20 अनुभव ज्यादातर कड़े आर्थिक कानूनों और आतंकवाद पलायक को लागू करने में सहयोग मांगने के इर्द-गिर्द घूमता रहा। बढ़ते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पर भी नेतृत्व किया है जिसने गठन में शामिल होने वाले देशों के संदर्भ में व्यापक सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा जून 2019 में आयोजित ओसाका शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री ने सर्वसम्मति से जी 20 के लिए प्राथमिकता के रूप में उत्तम संरचना को विकसित करने के लिए जापानी राष्ट्रपति के साथ सहमति व्यक्त की। पिछले अनुभवों में देखने योग्य रुझानों के साथ अत्यधिक संभावना है कि भारतीय देश-विभाग को एक एजेंडा बनाने की ओर झुकाव होगा, जो सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग, सुरक्षा और आर्थिक विकास के आसपास बुना जाएगा। विशेष रूप से अगले कुछ वर्षों में ऐसी नई रणनीतियाँ

सामने आएंगी जो ऐसे प्रतिमानों को प्रस्तुत करेंगी जो भारतीय सामाजिक-विकास के प्रक्षेपक और जी -20 में इसकी वैश्विक बातचीत को बदल सकते हैं।

FIGURE 1

* ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2011-2017

FIGURE 2

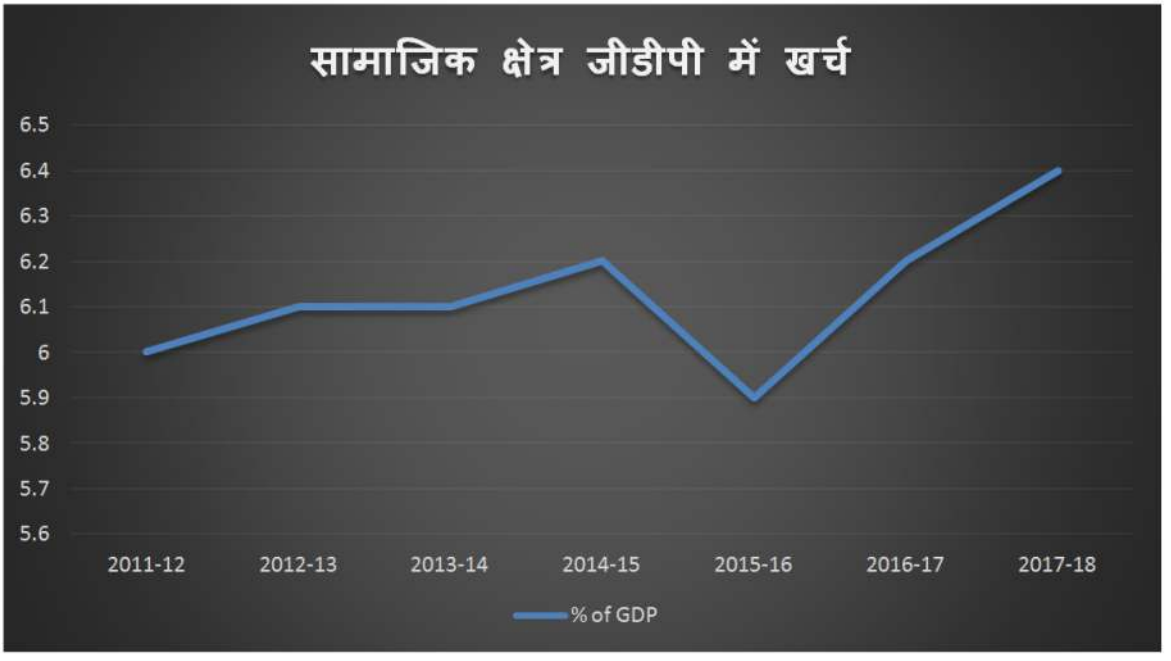

स्रोत: 2017-18 से आर्थिक सर्वेक्षण

भारत लंबे समय से सामाजिक-विकास योजनाओं पर निर्भर रहा है और सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने और सामाजिक रूप से समावेशी, आर्थिक रूप से स्वस्थ और लोकतांत्रिक रूप से संचालित समाजों के निर्माण के लिए उत्प्रेरक हैं। राज्यों के बीच असमान मानव विकास सभी प्रचलित साहित्य में उल्लेखनीय है। उनके विभिन्न मात्रात्मक तरीकों के साथ कई अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक क्षेत्र में व्यय आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।

- चित्र 1 में मानव और सामान्य विकास संकेतक के लिए बजटीय आवंटन ने एक निरंतरता बनाए रखी है फिर भी अवलोकन योग्य झुकाव हैं।

- चित्र 2 में जीडीपी स्थिरता का 6% हिस्सा कम या ज्यादा रखा गया है। विकास के केंद्र में अंतर्निहित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख स्रोत सार्वजनिक रूप से कराधान के माध्यम से वित्तपोषित है।

- 2016 के बाद जीडीपी में वृद्धि को सामाजिक विकास की दिशा में देखा गया है जिसे एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए जी 20 की कार्रवाई के बाद एकीकृत किया गया है।

यह भारत के लिए यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक स्कोरिंग के माध्यम से अच्छी तरह से स्पष्ट है जो वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। किसी भी देश को उसके मानव विकास संकेतकों पर बेहतर माना जाने वाला औसत स्कोर 0.630 है। हालाँकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बहुत सारी जमीनी विस्तृत सूचना की जरूरत है क्योंकि असमान हस्तक्षेपों के कारण चुनौती का सामना करना पड़ता है जिसमें इसके संभावित जोखिमों को कम करने की कोशिश की गई है। यह बहुसंख्यक भारतीयों द्वारा देश के धन पर बढ़ते विभाजन और कम नियंत्रण से प्रमाणित होता है। एक और चुनौती जिसने भारतीय विकास की कहानी को जन्म दिया है, वह है गरीबी की पुनर्गणना, जो दो-तिहाई भारतीयों को कवर करती है। हालांकि, ऐसे साधन विकास नीतियों, जिन्होंने गरीबी को कम करने के लिए संरचनात्मक रूप से प्रयास किया है, गरीबी दर को 21% तक कम करने में मदद की है। इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) में कहा गया है कि भारत इस दशक में 271 मिलियन लोगो को गरीबी से बाहर उठाने में आगे बढ़ा । नीति एसडीजी बेसलाइन इंडेक्स, 2018 के अनुसार राज्य स्तर पर कम से कम 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की गरीबी को समाप्त करने के लिए वांछनीय स्कोर तक पहुंचने के लिए 25% (महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली) का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद योगदान है । हालांकि, गरीबी, भूख, अभाव, बेरोजगारी और अन्य संकेतकों से युक्त एक जटिल निर्माण है। कई स्तरों पर नीतिगत क्रियाओं की आवश्यकता होती है। एक संकेतक की स्थिति में परिवर्तन से अनुमान में उतार-चढ़ाव हो सकता है। यह विभिन्न डेटा सूचकांकों में परिलक्षित हुआ है। 2017 के बाद से विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में लगातार बेरोजगारी ने गंभीर संकट के रूप में वृद्धि देखी गयी है। यह चिंताजनक है क्योंकि 2018 के लिए 18.6 मिलियन की तुलना में भारत में 18.9 मिलियन बेरोजगार हैं।

गरीबी का एक और कारक भूख है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार, भारत 119 देशों की रैंकिंग में 103 वें स्थान पर आता है । 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2019' की रिपोर्ट में एफएओ के अनुमान के मुताबिक, भारत में 194.4 मिलियन लोग कुपोषित हैं। इस प्रकार भारत में 14.5% आबादी कुपोषित है। जाहिर है, ये गरीबी बढ़ाने के प्राथमिक कारण हैं। समग्र नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है जो बेरोजगारी और भूख को कम करने के लिए समान उपाय करें।

एनआईटीआई आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति के साथ भूख और इसके प्रभावों से निपटने के प्रयास जारी हैं।

FIGURE 3

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2011-2018

विकास प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की तर्ज पर परिणामों को प्राप्त करने के लिए निरंतर विकास महत्वपूर्ण है। भारत बहुत से भारतीयों के मानव विकास को बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि, ऐसे अंतर हैं जिन्हें ठोस नीतिगत कार्यों के माध्यम से ख़त्म करने की आवश्यकता है जो गुणात्मक रूप से जमीनी स्तर पर निहित हैं और सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन प्रदान करते हैं।

बढ़ने की क्षमता

उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, तेजी से शहरीकरण और शिक्षित मध्यम वर्ग- आर्थिक विस्तार के लिए भारतीयों के भविष्य की सोने की खान है। एक सुसंगत और ऊपर की जीडीपी जो पिछले 5 वर्षों में 5-8% के बीच बनी हुई है, अप्रैल 2000 और जून 2019 के बीच 436.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने वाली वृद्धिशील इक्विटी प्रवाह द्वारा पूरक है, जिसमें श्रम बल 2020 तक 160-170 मिलियन को छूने की उम्मीद है जो कई विकसित देशों से आगे निकलने के लिए तैयार है । महत्वपूर्ण रूप से, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वित्त वर्ष 27 तक यूएस 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने और डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण, अनुकूल जनसांख्यिकी और सुधारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ ऊपरी-मध्य आय की स्थिति प्राप्त करने की उम्मीद है। विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मजबूत वृहद आर्थिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी ध्यान दिया गया है। वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 18 के दौरान 4.34 प्रतिशत के सीएजीआर के सकल मूल्य पर सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वाले विनिर्माण खंड के निचले हिस्से के बावजूद, निर्यात और होमगार्डन विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले उपयुक्त शासन और शासन संरचना की स्थापना की दिशा में जोर दिया गया है।

स्वास्थ्य

जी 20 ने स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है, एक एकीकृत और समावेशी वैश्विक प्रयास विकसित करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थकेयर कवरेज (UHC) तैयार किया है। देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र को जनसांख्यिकीय, महामारी विज्ञान और पोषण संबंधी पारगमन, प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप और अन्य मानव निर्मित आपात स्थितियों से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में, वैश्विक आबादी का 22% से अधिक वर्तमान में नाजुक स्थितियों में रहता है, जहां बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को वितरित करने के लिए कमजोर राष्ट्रीय क्षमता के साथ संयुक्त संकट ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की है। देशों की महत्वपूर्ण कार्य सूची में अभी भी ऐसी सुविधाएं हैं जिनमें बुनियादी स्वच्छता आवश्यकताओं की कमी है। स्वास्थ्य पर भारत की प्रगति उन चुनौतियों से जुड़ी हुई है, जो नीति निर्माताओं द्वारा निर्धारित उल्लिखित लक्ष्यों पर ध्यान देने योग्य है। वर्षों से, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से बनाया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)- इसके दो उप-मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शामिल हैं। एनएचएम समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हो।

नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती पहुंच, व्यापक स्वास्थ्य अभियानों, स्वच्छता के कारण जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। भारत में सरकारी और निजी अस्पतालों की संख्या में वृद्धि, टीकाकरण में सुधार, साक्षरता बढ़ाना आदि पहलें जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाएँ और राष्ट्रीय कार्यक्रम पोलियो, एचआईवी, टीबी, कुष्ठ आदि जैसी बीमारियों पर अंकुश लगाने ने भारत के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य सेवा की पहुंच कई भारतीयों के लिए मुख्य रूप से खराब सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण दूर का सपना बनी हुई है, जो उपचार में बहुत बड़ी बाधा है। हालांकि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देशभर में कम से कम 10.33 लाख आशाएँ समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करके सुगमता सुनिश्चित करने के मोर्चे पर रही हैं। गैर-संचारी रोगों की हिस्सेदारी जैसे की दिल के दौरे ने 1990 से 2016 की अवधि में 50% वृद्धि दर्ज की है, जिसमें मधुमेह के मामलों की संख्या 26 मिलियन से 65 मिलियन तक पहुंच गई है। इसी अवधि में, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव लंग डिजीज से बीमार लोगों की संख्या 28 मिलियन से 55 मिलियन हो गई।

FIGURE 4

भारत के स्वास्थ्य संकेतक पर मुख्य आँकड़े	
पांच वर्ष तक आयु वाले बच्चो का मृत्यु दर / शिशु मृत्यु दर	49
कम वजन वाले, 2012 (गंभीर)	42.5
बेहतर पेयजल स्रोतों का उपयोग (%) 2011	91.6
कुल टीकाकरण कवरेज (%) 2012, बीसीजी	87
एचआईवी (हजारों) 2012 के साथ रहने वाले सभी उम्र के लोग अनुमान लगाते हैं	2100

स्रोत: यूनिसेफ, 2018

FIGURE 5

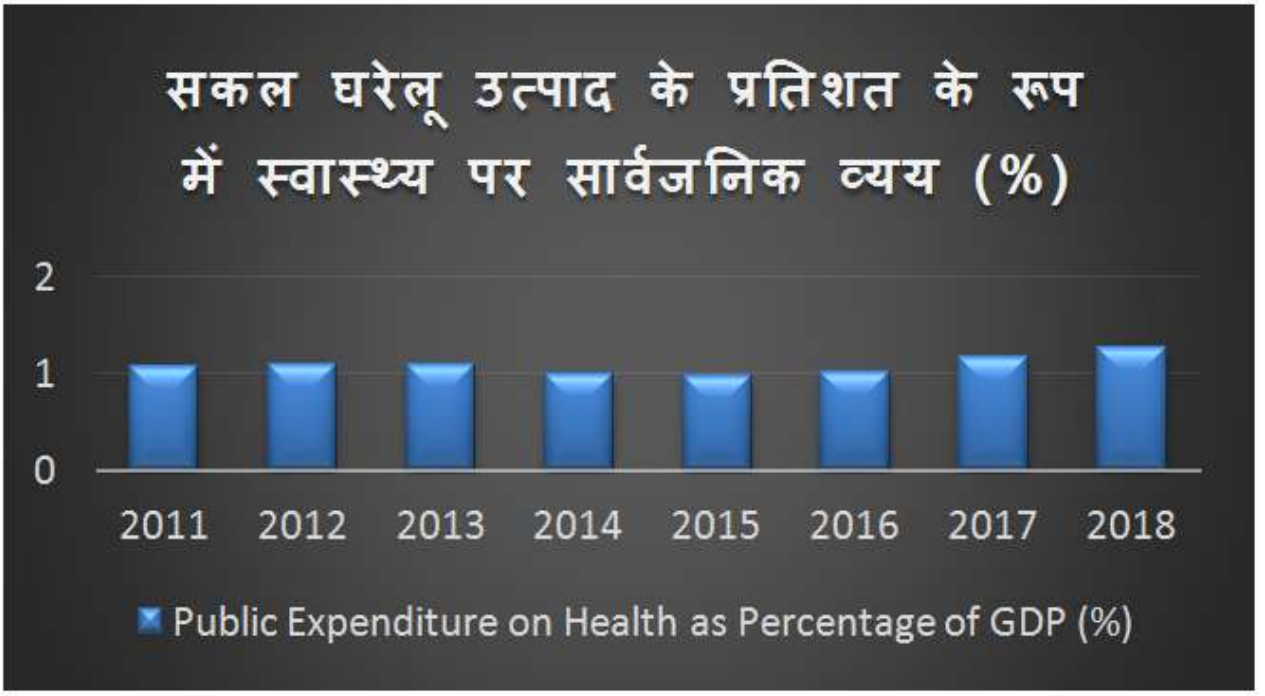

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 2018

FIGURE 7

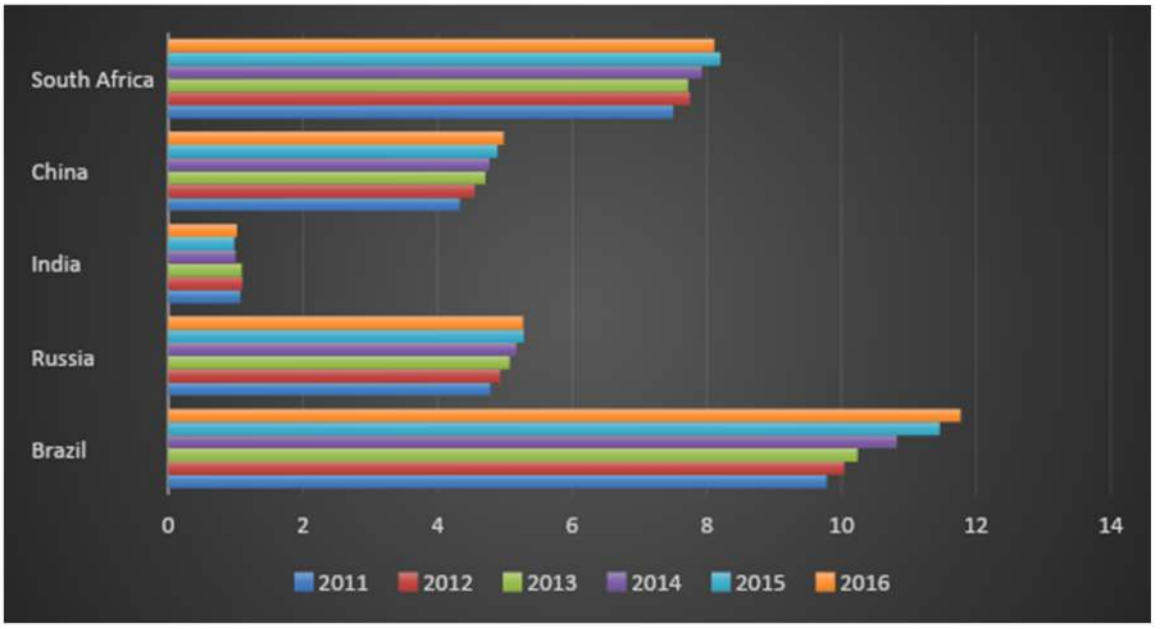

स्रोत: विभिन्न दस्तावेजों से लेखक का संकलन

भारत के स्वास्थ्य में कमी को ठीक करना

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा के वांछनीय स्तर तक पहुंचने के लिए, एक देश को सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 4-5% खर्च करना चाहिए। जैसा कि ऊपर भारत की स्वास्थ्य सेवा से देखा गया है कि जीडीपी की 1% सीमा है। यह सारणी 6 में 5 वर्षों की अवधि के लिए ब्रिक्स देशों में स्वास्थ्य सेवा की ओर प्रदान किए गए व्यय की हिस्सेदारी के साथ भी परिलक्षित होता है। भारत में विशेष रूप से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी अंतर को ख़त्म करने के लिए लाभदायक पहल की एक श्रृंखला शुरू की गई है -

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) का उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को कम करना है, और कम सेवा वाले राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाना है।
- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की डिलीवरी नव घोषित आयुष्मान भारत योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह लोगों और समुदायों को स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के केंद्र में रखता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं उत्तरदायी, सुलभ और न्यायसंगत बनती हैं।
- पोषण अभियान बच्चों, किशोरों, संवर्धित पोषण परिणामों के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है।
- **मिशन इन्द्रधनुष:** भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इन्द्रधनुष (MI) लॉन्च किया है, जो उन बच्चों का टीकाकरण करने के लिए एक लक्षित कार्यक्रम है जिन्हें या तो टीके नहीं मिले हैं या आंशिक रूप से टीके लगे हैं। गतिविधि में छूटे हुए बच्चों की अधिकतम संख्या वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

भारत में हेल्थकेयर डिलीवरी में सुधार के सुझाव

- ग्रामीण-शहरी असमानताओं पर विचार करते हुए, यह मानते हुए कि शिशु मृत्यु दर में 63% और भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कुल प्रजनन दर में 44% का अंतर है।
- गैर-संचारी रोगों के लिए हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों को तैयार करना।
- मानव संसाधन की गुणवत्ता संचालित भर्ती और स्टाफिंग जनशक्ति समस्याओं को देखते हुए।
- अधिक से अधिक अभिकर्मक और पहुँच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ाना|
- 2022 तक अधिकतम स्वास्थ्य कवरेज तक पहुंचने के लिए समयबद्ध तरीके से स्वास्थ्य जीडीपी अनुपात बढ़ाना |
- स्वास्थ्य परिणामों को देखने के लिए खुले और पारदर्शी डेटा के उपयोग के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार का समावेश |
- गरीबों, हाशिए और कमजोर समुदायों के लिए बीमा योजनाओं में बजटीय आवंटन बढ़ाना।
- गुणात्मक डेटा के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों (CSO) के साथ प्रभावी सामंजस्य रखना और महत्वपूर्ण योजनाओं की सेवा वितरण के लिए अपने लोगों की ताकत का उपयोग करना।

शिक्षा

सी20 ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि शिक्षा में इक्विटी में सुधार के लिए निवेश करने की एक मजबूत आवश्यकता है। इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुरूप राष्ट्रीय और शिक्षा बजट को बढ़ाना होता है। संरचना निवेश, शिक्षक प्रशिक्षण और पर्याप्त वेतन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित उचित शैक्षणिक तरीकों और लिंग, जाति, जातीयता या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव से मुक्त सुरक्षित शिक्षण वातावरण के निर्माण में किया जाना चाहिए। यह उनके नेताओं की घोषणा में जी 20 द्वारा निर्धारित संदर्भ पर आधारित था, जिसमें "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने" पर जोर दिया गया था। वर्तमान में संरचनात्मक अंतर्निहित कारकों के कारण भारत का शिक्षा परिदृश्य वापस आ रहा है। शिक्षा के अधिकार मंच के आंकड़ों के अनुसार, स्कूल की बुनियादी संरचना की भारी कमी है। उच्च प्राथमिक से स्कूलों की संख्या भी तेजी से घटती रही है। 2015-16 में, ग्रामीण भारत में प्रत्येक 100 प्राथमिक स्कूलों (कक्षा I से VIII) के लिए, माध्यमिक (कक्षा IX-X) की पेशकश करने वाले 14 स्कूल थे और केवल छह उच्चतर माध्यमिक ग्रेड (कक्षा XI-XII) प्रदान करते थे। प्राथमिक स्तर पर, आधिकारिक आंकड़ों में केवल 5% सूचीबद्ध निजी गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जबकि माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक ग्रेड प्रदान करने वाले 40% स्कूल निजी, बिना मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। यह फीस शुल्क पर बढ़ती निर्भरता, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निजी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ बाधाओं को रोकती है और स्कूल छोड़ने की ओर ले जाती है। अन्य कमजोर समूह जैसे विकलांग बच्चे भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। प्राथमिक स्तर पर विकलांगता वाले केवल 1.16% बच्चे हैं। माध्यमिक में 0.26% और वरिष्ठ माध्यमिक में 0.25%।

सकल माध्यमिक नामांकन अनुपात 74.89 सकल उच्च माध्यमिक नामांकन 49.88 माध्यमिक स्कूलों की संख्या 236793

FIGURE 8

प्रमुख सांख्यिकी

स्थिति	डीआईएसई डेटा 2016-17
सकल माध्यमिक नामांकन अनुपात	79.35
सकल उच्चतर माध्यमिक नामांकन	51.37
माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	260155

प्रथम द्वारा जारी ASER की रिपोर्ट में बच्चों में गिरावट के बारे में बताया गया है जो इस अवधि की शुरुआत में लगभग 4% से लगभग 2% है। हालांकि, निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में लगातार 20% से 30% से थोड़ी अधिक अवधि में लगातार वृद्धि हुई है। रिपोर्ट आगे बढ़ी और गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित किया, जिससे सीखने के प्रतिमान का विकास हुआ। उच्च शिक्षा के सामने अखिल भारतीय सर्वेक्षण पर उच्च शिक्षा (एआईएसएचई) की रिपोर्ट के रूप में कुछ रोचक जानकारियां दी गई हैं-

- उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 19.2 मिलियन पुरुष और 18.2 मिलियन महिला के साथ 37.4 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। महिला कुल नामांकन का 48.6% है।

- भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 26.3% है, जिसकी गणना 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिए की जाती है। पुरुष आबादी के लिए जीईआर 26.3% और महिलाओं के लिए 26.4% है। अनुसूचित जातियों के लिए, यह 23% है और अनुसूचित जनजातियों के लिए, यह 26.2% की राष्ट्रीय जीईआर की तुलना में 17.2% है।

FIGURE 9

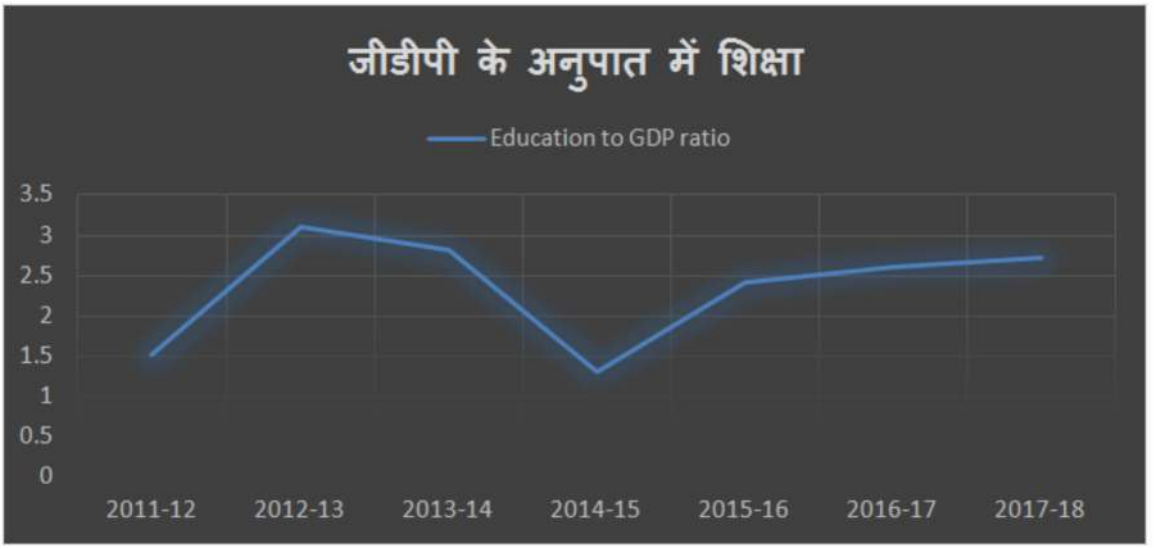

स्रोत: शिक्षा पर बजट व्यय का विश्लेषण 2011-16, आर्थिक सर्वेक्षण 2018

FIGURE 10

Sector-wise Expenditure (Plan & Non Plan) on Education by Education Department (Revenue Account) with percentage share Centre and States/UTs 2016-17 (BE)

(Rs.in crore)

	Plan Expenditure	Plan %age share	Non-Plan Expenditure	Non-Plan %age Share	Total Expenditure	Total %age Share
1	2	3	4	5	6	7
Elementary Education	82069.25	57.90	147655.19	46.05	229724.44	49.68
Secondary Education	30067.52	21.21	114549.08	35.72	144616.60	31.28
Adult Education	852.23	0.60	371.59	0.12	1223.82	0.26
Language Development	517.11	0.36	1521.71	0.47	2038.82	0.44
University & Hr. Education	15714.65	11.09	43208.87	13.48	58923.52	12.74
Technical Education	11339.20	8.00	10572.37	3.30	21911.57	4.74
General Education	1193.09	0.84	2766.40	0.86	3959.49	0.86
Total Education	141753.05	100.00	320645.21	100.00	462398.25	100.00

स्रोत: शिक्षा पर बजट व्यय का विश्लेषण 2016-17

शिक्षा चुनौतियों का सामना करना

भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में पहल की एक श्रृंखला शुरू की गई है, विशेष रूप से 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), जो 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य 'शिक्षा की गारंटी देता है। सारणी 10 में, प्रारंभिक शिक्षा पर काफी खर्च किया गया है, विशेष रूप से आरटीई के कारण। इसने उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-8) में नामांकन बढ़ाने के संदर्भ में मात्रात्मक लाभांश भी प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर, 2009 - 2016 के बीच, उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों की संख्या में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, आरटीई के कार्यान्वयन को कई गुणात्मक बाधाओं जैसे कि संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, लिंग भेदभाव और अंडर स्टाफिंग समस्याओं (कम से कम 60% स्कूलों में 1:30 शिक्षक-छात्र अनुपात के वांछनीय स्तर की कमी) ने घेर लिया है।

इन खामियों को दूर करने के लिए, सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) शुरू कर रही है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा: (i) पहुंच, (ii) इक्विटी, (iii) गुणवत्ता, (iv) सामर्थ्य, और (v) जवाबदेही का सामना करने की चुनौतियों का सामना करना चाहती है। एनईपी वर्तमान आरटीई सीमा की आयु सीमा को बढ़ाकर 3-18 करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें 5-3-3-4 डिज़ाइन वाले छात्रों की विकास आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षिक समय सीमा को प्रतिबंधित करना शामिल है: (i) पांच साल का मूलभूत चरण (पूर्व-प्राथमिक विद्यालय और कक्षा एक और दो के तीन वर्ष), (ii) तीन साल की प्रारंभिक अवस्था (कक्षा तीन से पाँच), (iii) तीन साल का मध्य स्तर (कक्षा छह से आठ), और (iv) चार साल का द्वितीयक चरण (कक्षा नौ से 12)। इसके अतिरिक्त, इसने भारत में शिक्षा प्रतिमान के लिए नए शासन को शुरू करने की कोशिश की है।

भारत में शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव

- बजटीय व्यय में भारत की हिस्सेदारी ब्रिक्स देशों में सबसे कम है और मौजूदा अल्प स्तर से इसे बढ़ाकर 6% करने की आवश्यकता है।
- तकनीकी रूप से संचालित ट्रैकर्स के माध्यम से आरटीई के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से मजबूत करने की आवश्यकता है जो जमीनी स्तर पर शैक्षिक स्थिति का जायजा लेते हैं।
- एनईपी को आयु सीमा को सीमित करने पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि जीडीपी के व्यय और अनुपात का वर्तमान स्तर बहुत कम है, जिसमें से अधिकतम हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर है। वृद्धि से केवल 6% लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।
- शिक्षा को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित करना और निजी निवेश से बचने के लिए यह देखते हुए कि यह विशेष रूप से महिलाओं, हाशिए, कमजोर समुदायों के लिए दुर्गमता को बढ़ाएगा।
- गुणात्मक और व्यवहार संबंधी परिणामों को उनके संकेतकों को मापने के लिए प्रासंगिक कार्यप्रणाली के साथ प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एनआईटीआई आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे एनईपी में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- सिविल सोसायटी संगठनों के साथ परामर्श, भागीदारी और अभ्यास नियमित रूप से जमीनी स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में शामिल लोगों के लिए एक सहायक वातावरण के साथ आयोजित किया जाना चाहिए।

पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

सतत विकास प्राप्त करने के लिए कुशल रणनीति विकसित करने के लिए आंतरिक और जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा के संसाधन बैंक का निर्माण करना आवश्यक है। ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के कम से कम 80% के लिए जी 20 का योगदान है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका और सामूहिक जिम्मेदारी है जो पहले से ही मानव अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है और संरचना और आजीविका में अरबों डॉलर के नुकसान का कारण है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल रिपोर्ट ने हाल ही में उल्लेख किया है कि भारत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि के प्रभाव के तहत बहुत प्रभावित होता है, जिसका प्रभाव खाद्य असुरक्षा, उच्च खाद्य कीमतों, आय के नुकसान, हानि के माध्यम से वंचित और कमजोर आबादी को प्रभावित करेगा। आजीविका के अवसर, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और जनसंख्या विस्थापन। जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDCs) में देश के उत्सर्जन में कटौती करना है, हालांकि, नवीकरण और अन्य स्वच्छ ऊर्जा ईंधन से पहले जीवाश्म ईंधन लेने के लिए अनुकूल वातावरण के साथ जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा है। । 2014 में भारत का कुल जीएचजी उत्सर्जन 3,202 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (MtCO2e) था, जो वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन का 6.55% था। जीवाश्म ईंधन का बढ़ता उपयोग मानव निर्मित प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षरण और आर्थिक और सामाजिक प्रतिमानों के लगातार नुकसान के साथ-साथ चिंता का बढ़ता कारण है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट में विज्ञान और पर्यावरण के केंद्र के राज्य में पर्यावरण के मोर्चे पर, निम्नलिखित पर प्रकाश डाला गया-

- वायु प्रदूषण भारत में होने वाली सभी मौतों के 12.5 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। देश में खराब हवा के कारण पांच वर्ष से कम आयु के 100,000 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो जाती है।

- जबकि भारत पहले ऐसे देशों में से एक था, जिसने गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों से चरणबद्ध तरीके से शपथ ली, लेकिन ई-वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इसकी राष्ट्रीय योजना अभी तक नहीं है। 2020 तक 15-16 मिलियन ई-वाहनों के लक्ष्य के की तुलना में, काउंटी में मई 2019 तक 0.28 मिलियन वाहन थे।

- देश में सतह और भूजल तनाव के अधीन हैं। 86 जल निकाय गंभीर रूप से प्रदूषित हैं। इसका एक कारण 2011 और 2018 के बीच सकल प्रदूषणकारी उद्योगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि (136 प्रतिशत) है। भूजल भी अत्यधिक दोहन के अधीन है, जो देश में सभी लघु सिंचाई योजनाओं का 94.5 प्रतिशत रहा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, कम से कम 35 भारतीय नदियों को अत्यधिक प्रदूषित श्रेणी में रखा गया है। यह अनुमान है कि शहरी I केंद्रों में कक्षा I के शहरों और कक्षा II के शहरों में 50,000 से अधिक आबादी वाले (कुल शहरी आबादी का 70 प्रतिशत से अधिक के लिए लेखांकन) प्रतिदिन लगभग 38,254 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है।), जैव विविधता की सभी दर्ज प्रजातियों में से 8%, पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियों और जानवरों की 91,000 प्रजातियों सहित। विश्व स्तर पर पहचाने जाने वाले 34 में से चार जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट: हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व और निकोबार द्वीप समूह भारत में पाए जाते हैं। दुनियाभर में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद भारत को जैव विविधता और पारिस्थितिकी की रक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वन भारत में कम से कम 256 मिलियन की आजीविका में योगदान करते हैं।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटना

भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने और भविष्य के लिए एक लचीला और टिकाऊ वातावरण बनाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है।

i) सुधार ऊर्जा बाजार (विद्युत अधिनियम 2005, शुल्क नीति 2003, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, आदि) में शामिल हैं: प्राथमिक और माध्यमिक ऊर्जा के अन्वेषण, निष्कर्षण, रूपांतरण, पारेषण और वितरण में प्रवेश बाधाओं को दूर करना। इष्टतम ईंधन विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मूल्य सुधार और कर सुधारों का संस्थान। सौर, पवन और बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए शुल्क में फीड प्रदान करना। स्वतंत्र विनियमन को मजबूत करना या शुरू करना।

ii) नई और नवीकरणीय ऊर्जा नीति, 2005: नीति स्थायी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को बढ़ावा देती है। यह स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण के माध्यम से अक्षय प्रौद्योगिकी की शीघ्र तैनाती की सुविधा प्रदान करता है।

iii) ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006: नीति अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देती है जहाँ ग्रिड कनेक्टिविटी संभव या लागत प्रभावी नहीं है।

iv) बायोडीजल खरीद नीति: यह पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा बायोडीजल खरीद को अनिवार्य करता है।

v) गैसोलीन का इथेनॉल सम्मिश्रण: विनियमन में नौ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 1 जनवरी 2003 से पेट्रोल के साथ इथेनॉल के पांच प्रतिशत सम्मिश्रण का आदेश दिया गया है।

vi) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001: कानून का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करना है। इसने विशिष्ट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) की स्थापना की।

vii) नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने देश में सौर पंप, ग्रिड, सौर और अन्य नवीकरणीय बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा कार्यक्रम (पीएम कुसुम) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा को रुपये की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 2022 तक 25,750 मेगावाट की अन्य नवीकरणीय क्षमता के साथ जोड़ना है, कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क सहित 34,422 करोड़ दिए गए ।

viii) स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण करने और बढ़ते बोझ वाले जीएचजी को कम करने के लिए एक वैश्विक नेतृत्व लेते हुए, इसने महत्वाकांक्षी इंटरनेशनल सोलर अलायंस-एक सह-सरकारी संगठन की शुरुआत की, जिसने अपने स्वच्छ ऊर्जा मिशन को साकार करने के लिए पांच मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है-: 1) कृषि के लिए स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन; 2) वित्त स्केल पर सस्ती; 3) स्केलिंग सोलर मिनी ग्रिड; 4) स्केलिंग सोलर रूफटॉप, और 5) ई-मोबिलिटी और स्टोरेज में स्केलिंग सोलर। आईएसए को दुनियाभर से व्यापक समर्थन मिला है और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक कदम के रूप में स्वागत किया गया है। यह 175 जीडब्लू स्थापित क्षमता तक पहुंचने के लिए भारत सरकार का नीतिगत लक्ष्य भी है। इसके बाद, संचयी अक्षय ऊर्जा क्षमता 2013-14 से 2017-18 तक दोगुनी हो गई । वनीकरण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए ठोस कार्रवाई भी की गई है। यह भारत के हालिया वन कवर के माध्यम से दिखाई देता है जिसमें कि 6,778 वर्ग किमी, 1% की वृद्धि हुई है। प्रभावी रूप से जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए, एनआईटीआई आयोग द्वारा विकसित वास्तविक समय पर नज़र

रखने वाले उपकरण जैसे कि समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) का उपयोग भारत में व्यापक रूप से संरचित प्रश्नावलियों के आधार पर भारत में पानी के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, इसके बाद समूह चर्चा पर चर्चा की जाती है।

सुझाव

- जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा पर स्थिर चरण से, नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा शुरू की गई क्रॉस-लिंकेज नीतियों और कार्यक्रमों को शामिल करने की आवश्यकता है जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लक्ष्यों को समग्र रूप से वितरित कर सकते हैं।
- पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के बीच पर्यावरण और सामाजिक दिशानिर्देशों (ईएसजी) का अनुपालन और निगरानी लगातार होनी चाहिए।
- परिवेशी वायु प्रदूषण के विकृत प्रभावों को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति पेश की जानी चाहिए। इसमें राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए। वर्तमान में दिल्ली और आसपास के उत्तरी क्षेत्र में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर घटते जीवनकाल के साथ सीधा संबंध रखता है।
- कम कार्बन सघन प्रौद्योगिकियों को नवपरिवर्तन के लिए पर्याप्त बजट, आरएंडडी अवसर और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र दिया जाना चाहिए, जो भारत को आर्थिक उत्पादन की प्रत्येक इकाई से जुड़े उत्सर्जन में 33-35% की कटौती की शंका को वर्ष 2030 तक 2005 की तुलना में कम रखने में मदद करेगा। हालाँकि 2014 से 2030 के बीच कार्बन संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार भारत का कार्बन उत्सर्जन 90% तक बढ़ सकता है।
- भारत को एक मजबूत रणनीति के साथ आने की जरूरत है जो कार्बन सिंक को बढ़ाने पर आगे बढ़े। वनों की कटाई में वृद्धि के कारण वनरोपण में सफलता निश्चित रूप से सराहनीय है, हालांकि वनों की कटाई के लिए संरचनात्मक ढाँचे का समयबद्धता, पर्यावरणीय आकलन और मजबूत करने वाले शासन संस्थानों के माध्यम से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
- सिविल सोसाइटी के साथ नीति अन्वेषण, वैज्ञानिक संस्थान को अपशिष्ट जल के उपचार के लिए नगरपालिकाओं द्वारा खोजा जाना और शामिल करना चाहिए और इसे उपयोग योग्य पानी में बदलना चाहिए।
- स्थानीय समाज के अधिकारियों के साथ क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन और नीति परामर्श का नेतृत्व करने के लिए सामाजिक संगठनों को शामिल करके सामुदायिक स्तर की भागीदारी के साथ भूजल पुनर्जनन और मीठे पानी के संरक्षण के लिए पर्याप्त बजटीय समर्थन दिया जाना चाहिए।
- जलवायु परिवर्तन पर राज्य अधिनियम नीति (SAPCC) को महिलाओं के लिए आजीविका और अनुकूल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वन उपज पर जीवित किसानों को हाशिए पर रखने वाले समूहों की सहायता करने की आवश्यकता है।
- जलवायु स्थिरता कानून सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आकलन के आधार पर, भारत के गैर-सरकारी संगठनों का पर्यावरण प्रतिमानों में कानून के लिए उत्तरदायी दोषियों के लिए कानून में कठोरता की आवश्यकता है।
- सिविल सोसायटी संगठनों को मौद्रिक सहायता और मान्यता, जमीनी स्तर पर कार्बन माइनस और अनुकूली प्रौद्योगिकियों के उत्पादन में शामिल। वर्तमान में सीएसओ अपने सामाजिक नवाचारों पर नीति निर्माताओं के साथ बातचीत करने में असंख्य बाधाओं का सामना करते हैं। वित्त पोषण मार्गों की कमी के कारण ये नवाचार स्थानीय भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित हैं और कुछ मुट्ठी भर समुदाय अंततः बाहर हो रहे हैं। सरकार को इस तरह के अभिनव तरीकों पर सीएसओ का समर्थन करना चाहिए।

लिंग

जी 20 आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में लैंगिक समानता पर प्राथमिक ध्यान दे रहा है और 2025 तक श्रम बाजार की भागीदारी में लिंग अंतर को कम करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। नेताओं के समूह ने पुष्टि करते हुए कहा है कि अधिक की आवश्यकता है। नेताओं ने "सभी के लिए श्रम की स्थिति में सुधार" और "महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने के उद्देश्य से पहल को बढ़ावा और लिंग आधारित हिंसा"को खत्म करने पर बल दिया है | विश्व बैंक के अनुसार- महिलाएं भारतीय आबादी का 48 प्रतिशत हिस्सा हैं लेकिन भारत तीव्र आर्थिक वृद्धि से समान रूप से लाभान्वित नहीं हुआ। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष से कम आयु की 239,000 से अधिक लड़कियों के साथ महिला बाल मृत्यु दर अभी भी गंभीर चिंता का विषय है। 65 प्रतिशत महिलाएँ 80 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में साक्षर हैं। महत्वपूर्ण रूप से, भारत में दुनिया में सबसे कम महिला श्रम बल भागीदारी दर है।

- तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद, 2018 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के एक चौथाई (23.6%) ने श्रम बल में भाग लिया (पुरुषों के 78.6% की तुलना में)।
- महिलाओं के लिए भारत की कम श्रम शक्ति भागीदारी दर महिलाओं में उनकी शिक्षा को जारी रखने, लचीली समय-निर्धारण की उपलब्धता और कार्य स्थानों की निकटता में वृद्धि कारण है।
- ग्रामीण महिलाएँ शहरी महिलाओं की तुलना में भारत के कार्यबल को तेज़ दर पर छोड़ रही हैं।

महिलाएं भारतीय कार्यबल का एक अभिन्न हिस्सा हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में महिला श्रमिकों की कुल संख्या 149.8 मिलियन है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक क्रमशः 121.8 और 28.0 मिलियन हैं। कुल 149.8 मिलियन महिला श्रमिकों में से, 35.9 मिलियन महिलाएँ कृषक के रूप में काम कर रही हैं और अन्य 61.5 मिलियन कृषि मजदूर हैं। शेष महिला श्रमिकों में से, 8.5 मिलियन घरेलू उद्योग में हैं और 43.7 मिलियन अन्य श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, 2001 में 25.51 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के लिए काम की भागीदारी दर 25.63 प्रतिशत है। 2011 में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 1991 में 22.2 प्रतिशत और 1981 में 19.67 प्रतिशत का सुधार हुआ है। 1981 शहरी क्षेत्रों में 15.44 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 30.02 प्रतिशत है। जहां तक संगठित क्षेत्र की बात है, तो मार्च, 2011 में संगठित रूप से कुल रोजगार का 20.5 प्रतिशत महिला श्रमिकों का गठन किया गया, देश में क्षेत्र जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 0.1 प्रतिशत अधिक है। 31 मार्च, 2011 को रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीई एंड टी) द्वारा अंतिम रोजगार समीक्षा के अनुसार, संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र) में लगभग 59.54 लाख महिला श्रमिकों को नियुक्त किया गया था। इसमें से लगभग 32.14 लाख महिलाएँ सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र में कार्यरत थीं।

2017-18 के दौरान राष्ट्रीय सैंपलिंग सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) शुरू किया गया, और उसके बाद के आयु वर्ग में महिलाओं के लिए समग्र कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात 22% था, जबकि यह 23.7 था। शहरी में 18.2% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में%। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु समूह

के लिए समग्र महिला श्रम बल भागीदारी दर 23.3% थी जो शहरी क्षेत्रों में 20.4% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 24.6% थी। महिला के लिए समग्र बेरोजगारी दर 5.6% थी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर 3.8% और शहरी क्षेत्रों में 10.8% थी। यह सुझाव दिया गया है कि महिलाओं की श्रम शक्ति में 10 प्रतिशत की वृद्धि से 2025 तक भारत की जीडीपी में 770 बिलियन डॉलर का इजाफा हो सकता है।

जेंडर गैप को ख़त्म करना

भारत में प्रचलित भारी वेतन असमानताओं को पाटने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ सुधार उल्लेखनीय हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश कार्यबल में महिलाओं की रोजगार में वृद्धि को बढ़ावा नहीं देते हैं।

- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुषों और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान प्रदान करता है और समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य करते समय महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव, या भर्ती के बाद सेवा की किसी भी स्थिति में जैसे पदोन्नति, प्रशिक्षण या स्थानांतरण को भी रोकता है। अधिनियम के प्रावधानों को रोजगार की सभी श्रेणियों में विस्तारित किया गया है।

- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन, काम और पारिवारिक दायित्वों के सामंजस्य के उद्देश्य से पारिवारिक और सामाजिक नीतियों की आवश्यकता का जवाब देने के लिए, सरकार ने वर्ष 2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन किया है। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के विचलन को रद्द कर दिया गया है। 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक बढ़े हुए मातृत्व अवकाश और 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच की सुविधा के लिए प्रावधान करता है।

- माइंस एक्ट, 1952 में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को दिनांक 29 जनवरी, 2019 को निर्धारित किया गया था, माइंस एक्ट, 1952 की धारा 46 के प्रावधान से खानों में कार्यरत महिलाओं को छूट दी गई और खदान में महिलाओं की तैनाती की अनुमति दी गई। लिखित सहमति प्राप्त करने के अधीन जमीन के नीचे किसी भी खदान में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय संवर्ग में कार्यरत 7 बजे से 6 बजे के बीच कामकाज कर सकती है ।

- कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय को अनिवार्य किया गया है कि कार्यक्रमों और गतिविधियों पर कम से कम 30% संसाधनों का उपयोग महिला किसानों और महिला विस्तार अधिकारियों के लिए किया जाए।

जी 20 के साथ लिंग भागीदारी बढ़ाने की सिफारिशें

- लैंगिक कार्यबल में एक बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि अधिकांश भारतीय महिलाएं मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में शामिल हैं, जिनके लिए महिलाओं के कार्यबल को कुछ नीतिगत सुरक्षा उपायों के माध्यम से पर्याप्त रूप से औपचारिक रूप से शामिल करने की आवश्यकता होती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वे लाभ के हकदार हैं।

- समग्र समावेश होना चाहिए जो सरकार के विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों में लिंग को मुख्यधारा में लाने की अनुमति देता है। कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिसाल पेश करने और बजट समर्थन आवंटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- कार्यबल मानदंड की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए विश्लेषण के लिए खुला और पारदर्शी डेटा उपलब्ध होना चाहिए
- व्यवहार परिवर्तन, दृष्टिकोण आदि के माध्यम से महिला श्रमिकों को शामिल करने पर आवश्यक क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करना।
- सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन (सीएसओ) इनपुट का गंभीर रूप से डेटा ट्रैकिंग और बेहतर नीतियों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जो लिंग की मुख्यधारा को बढ़ावा देते हैं।

भारत की वित्तीय वास्तुकला

अपने गठन के बाद से, जी 20 एक वैश्विक वित्तीय शासन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो अपने सदस्य देशों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। इसके विपरीत, जी 20 ने अवैध वित्तीय प्रवाह के खिलाफ लड़ाई में एक उपकरण के रूप में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया है:

(i) कानूनी व्यक्तियों और ट्रस्टों की लाभप्रद स्वामित्व पारदर्शिता को आगे बढ़ाना;

(ii) सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान को लागू करना, और

(iii) कर पारदर्शिता पर अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं करने वाले न्यायालयों के खिलाफ रक्षात्मक उपायों पर विचार करना।

जी 20 ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान को संबोधित करने और विश्व स्तर पर निष्पक्ष और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, OECD बेस इरोज़न और प्रॉफ़िट शिफ्टिंग रिपोर्ट (BEPS रिपोर्ट) को लागू करने और विकासशील देशों को अपनी कर क्षमता बनाने में सहयोग कर रहा है। जी 20 शिखर सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं में बैंकों को विफल करने के लिए बहुत बड़ा विनियमन करना और शेड बैंकिंग से जोखिमों को संबोधित करना शामिल है ताकि वे वित्तीय प्रणाली को बाधित न कर सकें। जी 20 एजेंडा अब मुख्य रूप से कार्यान्वयन और संबंधित प्रभावों जैसे कि प्रेषण के साथ समस्याओं से निपटने पर केंद्रित है। अति-ऋणग्रस्तता से बचने के लिए, जी 20 ने सतत वित्त पोषण के लिए परिचालन दिशानिर्देशों को अपनाया है। ये जी 20 उधारदाताओं को IMF के साथ अधिक जानकारी साझा करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, लेकिन मीडिया, संसदों और नागरिक समाज को नहीं। 2019 में जी 20 में ऋण पारदर्शिता बढ़ाने और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा हुई । वित्तीय सुधारों के आगे जी 20 में यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बैंकिंग क्षेत्र, और वित्तीय प्रणाली, दीर्घकालीन समाजों और अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करें और एसडीजी सहित विकासशील देशों की वित्तीय प्राथमिकताओं के अनुकूल हों। भारत विवेकपूर्ण और सुविधाभोगी वैश्विक वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अपने एजेंडे को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। 2011 के बाद से, इसने कराधान की जानकारी में सहयोग की बैंडविड्थ को बढ़ाने की मांग की है, कर चोरी ,वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित पारस्परिक सहायता तंत्र आदि के बारे में चिंताओं को उठाया है । निरंतरता में भारत ने टैक्स आधार से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन के OECD ढांचे पर हस्ताक्षर किए। कटाव और लाभ स्थानांतरण (MLI) जो 1 अक्टूबर, 2019 को भारत के लिए लागू हुआ, इसके प्रावधानों का वित्त वर्ष 2020-21 से भारत के डीटीएए पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरे, जी 20 से वित्तीय समावेशी रणनीतियों को बढ़ावा देने की उम्मीद है। बढ़ता हुआ वित्तीय बहिष्कार एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे समावेशी नीतियों के निर्माण के रूप में सरकार से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ है जैसे कि जन धन योजना, जन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति आदि। जन धन योजना को सफल माना गया है। बैंक खातों की संख्या के विस्तार की शर्तें जो वर्तमान में 294 मिलियन हैं। इसका साथ देने के लिए, भारत सरकार ने कई इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट सिस्टम लॉन्च किए हैं, जैसे भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM), आधार पे। आर्थिक रूप से कर पलायन करने के मोर्चे पर और आर्थिक विकास को पटरी से उतारने वाले दिवालियापन की जांच के लिए न्याय के कड़े तंत्र को सुनिश्चित करना- कर पलायन आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 जैसी नीतियों की एक सारणी पेश की गई है।

बेस एरोसियन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) कर परिहार रणनीतियों को इंगित करते हैं जो बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी) अपने कर अड्डों को कम करने के लिए काम करते हैं। आमतौर पर, किसी कंपनी को अपने द्वारा अर्जित आय या मुनाफे के लिए कर का भुगतान करना पड़ता है। हाल के समय में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने आय / मुनाफे को अन्य देशों में स्थानांतरित करने से कर से बचने के लिए परिष्कृत कर नियोजन प्रथाओं को विकसित कर रही हैं, विशेषकर कर चोरी करने वालों की इस तरह की प्रथाएं टैक्स बेस को खत्म कर देती हैं।

चित्र 11: लाख करोड़ में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर संग्रह

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर संग्रह	प्रत्यक्ष कर संग्रह
2011-12	3.97	4.93
2012-13	5.05	3.90
2013-14	4.96	8.49
2014-15	5.46	6.96
2015-16	7.11	7.48
2016-17	8.05	8.47
2017-18	9.1	10

स्रोत: पीआईबी, 2011-18

FIGURE 12

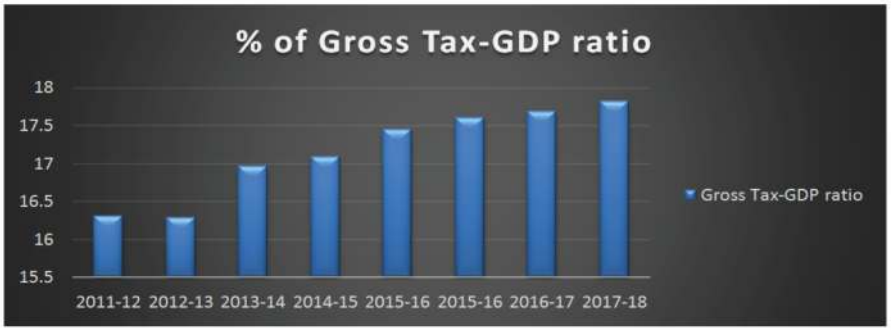

स्रोत: Source: Various Sources

Figure13

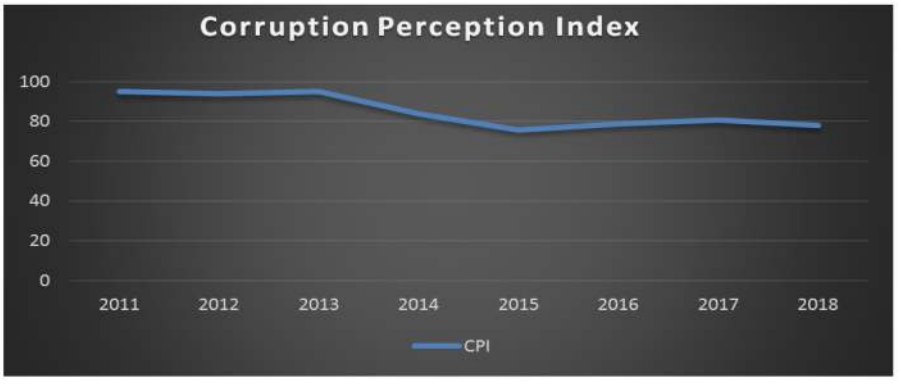

स्रोत: Transparency International, CPI data 2011-2018

बढ़ते कराधान और भ्रष्टाचार की जाँच की आवश्यकता

सारणी 12 से यह आसानी से समझा जा सकता है कि कर से जीडीपी अनुपात में प्रगतिशील वृद्धि हुई है। हालांकि, भारत में जीडीपी अनुपात का कर ओईसीडी द्वारा निर्धारित 33% के आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जो किसी देश के विकास और विकास का समर्थन करने के लिए एक व्यापक कर आधार के लिए आदर्श है। उदाहरण के लिए, फ्रांस जैसे जी 20 देश में 2017 में सबसे अधिक कर-से-जीडीपी अनुपात (46.2%) था । यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका जिसका जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम थी,पर कर का सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात लगभग 27% था। कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण घटक है और पूर्वोक्त अनुपात सरकार की विभिन्न विकास पहलों में निवेश करने की क्षमता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रत्यक्ष कर आधार, समानांतर अर्थव्यवस्था और असंगठित क्षेत्रों के कारण भारत का तुलनात्मक रूप से कम कर-से-जीडीपी अनुपात रहा है जिसने कर संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 2016 के बाद दिखाई देने वाले अनुपात में वृद्धि से एक प्रत्यक्ष अनुमान, माल और सेवा कर और काले धन के संचलन की जांच के लिए अनिवार्य कर खुलासे का परिणाम है। दोनों का अप्रत्यक्ष कर संग्रह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 और बेनामी लेनदेन अधिनियम, 1988 जैसे कानूनों को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। वार्षिक क्रोल ग्लोबल फ्रॉड रिपोर्ट में नोट किया गया है कि भारत में भ्रष्टाचार उच्चतम राष्ट्रीय घटनाओं (25%) के बीच है। इसी अध्ययन में यह भी कहा गया है कि भारत उच्चतम अनुपात रिपोर्टिंग खरीद धोखाधड़ी (77%) के साथ-साथ भ्रष्टाचार और रिश्वत (73%) की रिपोर्ट करता है। इसके अतिरिक्त, संवैधानिक कार्यालय जैसे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ('CAG') और केंद्रीय सतर्कता आयोग (Commission CVC ') भारत में जनहित याचिकाओं (PILs)) के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, भारत की रैंक में सुधार हुआ है, जो शासन और प्रशासन में पारदर्शिता की बढ़ती भावना की ओर इशारा करता है।

कराधान को मजबूत करने और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सुझाव

- सरकार को प्रभावी ढंग से उपायों का निर्माण करने की आवश्यकता है जो कर को जीडीपी अनुपात में बढ़ावा देने में मदद करेंगे।
- कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र को दी जाने वाली कर कटौती और सोप को विकास की प्राथमिकताओं के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
- अप्रत्यक्ष कर की घटनाओं और बोझ को कम करना क्योंकि यह सीधे गरीब, हाशिए और महिला समुदायों को प्रभावित करता है|
- योजनाओं के सार्वजनिक वित्तपोषण की निगरानी के लिए खुला और पारदर्शी डेटाबेस होना, जो जमीनी स्तर पर आसानी से प्रयोग करने योग्य हो |
- प्रभावी शिकायत निवारण और स्थानीय स्तर पर व्हिसलब्लोअर के संरक्षण के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम को मजबूत करके वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता लाना।

संरचनात्मक विकास

इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश में परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बिजली और बिजली के माध्यम से प्रदान की गई भौतिक और मूर्त सेवाओं के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में संरचना निवेश में 1.0 ट्रिलियन डॉलर की कमी का सामना करना पड़ रहा है - प्रतिवर्ष 1.4 ट्रिलियन डॉलर (भट्टाचार्य और रोमानी, 2013) विनिर्माण, सेवाओं, व्यापार और यहां तक कि मानव पूंजी के लिए भौतिक संरचना आवश्यक है, जबकि बढ़ती आय और तेजी से शहरीकरण से बिजली, परिवहन, दूरसंचार की मांग बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मानव पूंजी की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, जो हमारे दीर्घकालिक विकास मॉडल में एक महत्वपूर्ण कारक है। संरचना की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार का गरीबों पर असंगत रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार यह आय असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में 1% की वृद्धि जीडीपी में 1% वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है।

हांग्जो में 2016 के जी 20 शिखर सम्मेलन में, जी 20 नेताओं ने 'गुणवत्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट (QII) के महत्व पर बल दिया, जिसका उद्देश्य जीवन-चक्र लागत, सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा के खिलाफ लचीलापन, रोजगार सृजन, क्षमता निर्माण के मद्देनजर आर्थिक दक्षता सुनिश्चित करना है, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करते हुए और पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर विशेषज्ञता और जानकारी का हस्तांतरण, और विकास रणनीतियों के साथ संरेखित करना । यह व्यापक रूप से मान्यता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए एसडीआई को वितरित करना आवश्यक है।

वर्तमान में भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 7-8 प्रतिशत सालाना संरचना पर खर्च करने की आवश्यकता है, जो कि 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक संरचना के निवेश में बदल जाता है। हालाँकि, भारत लगभग 100-110 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने में सक्षम रहा है, जिससे लगभग 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष का घाटा हो रहा है। राजकोषीय सीमाएँ सार्वजनिक निवेश के विस्तार की आवश्यकता को रोकती हैं जिसके लिए निजी पूंजी के बुनियादी ढांचे में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है। इस संदर्भ में, संरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप से वाटर शेड पहल शुरू की गई है। उनमें से एक राष्ट्रीय निवेश और संरचना निधि (NIIF) है, जिसमें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए लगभग 400 बिलियन पूंजी है। इसके लिए एक ढाँचे के रूप में, देश में संरचना कंपनियों द्वारा मंगाई गई बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए संरचना परियोजनाओं के लिए एक क्रेडिट एन्हांसमेंट फंड (CEF) शुरू किया जाएगा। अपेक्षित हानि के दृष्टिकोण के आधार पर संरचना परियोजनाओं के लिए एक नई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली भी शुरू की गई है, जो दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा सूचित निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त जोखिम मूल्यांकन तंत्र प्रदान करती है। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स जैसे उपायों को इंफ्रास्ट्रक्चर में पूल इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया गया है। अप्रैल 2000 से मार्च 2019 तक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सेक्टर (टाउनशिप, हाउसिंग, बिल्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स) में प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्राप्त हुआ। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार 2019 में 25.05 बिलियन यूएस डॉलर था। भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर प्रतिवर्ष 10.5 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा है और 2020 में 215 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

FIGURE 15

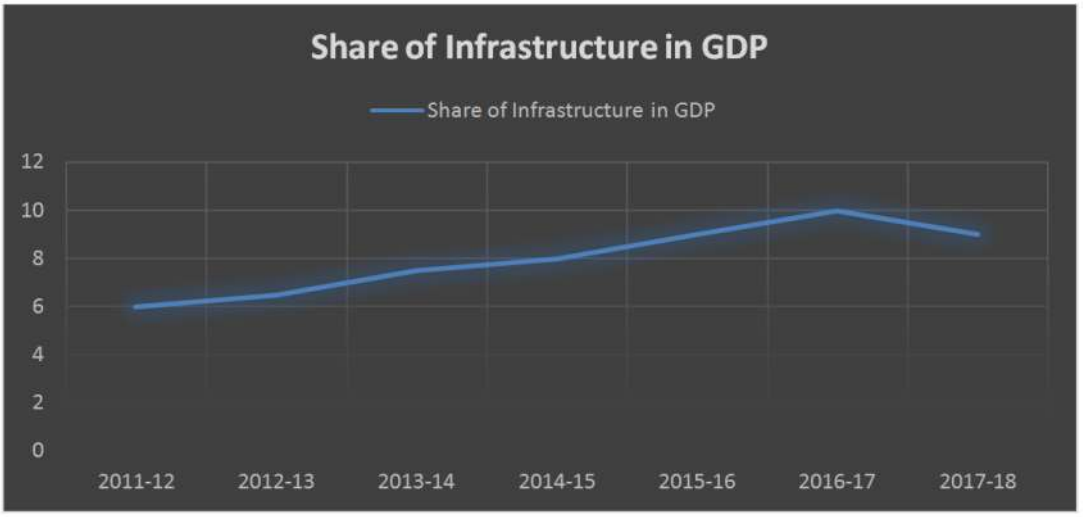

स्रोत: 12th Five Year Plan, various sources

संरचना वित्तपोषण: सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

संरचना में निजी निवेश मुख्य रूप से पीपीपी के रूप में आया है। पिछले एक दशक में भारत में संरचना के निवेश का एक तिहाई से अधिक हिस्सा निजी क्षेत्र से आया है। पीपीपी संरचना के अंतर को दूर करने के साथ-साथ संरचना सेवा वितरण दक्षता में सुधार करने में मदद करती है। विश्व बैंक के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस में निजी भागीदारी के अनुसार, पीपीपी परियोजनाओं की संख्या के साथ-साथ संबंधित निवेशों में भारत विकासशील देशों में दूसरे स्थान पर है। संरचना कार्यक्रम में भारतीय निजी भागीदारी प्रबंधन अनुबंधों, बिल्डऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) अनुबंधों, डिज़ाइनबाइल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट्स, पुनर्वास - संचालन - स्थानांतरण, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल और टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल सहित कई पीपीपी मॉडल का समर्थन करती है। । बीओटी मॉडल के तहत, ट्रैफ़िक के जोखिम को वहन करने वाले बीओटी (टोल) और बीओटी (वार्षिकी) दो संस्करण हैं। बीओटी (टोल) के मामले में, यातायात जोखिम पीपीपी रियायतकर्ता द्वारा वहन किया जाता है, जबकि बीओटी (वार्षिकी) के मामले में, यह सरकार (सार्वजनिक प्राधिकरण) द्वारा वहन किया जाता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सहयोग

बहुपक्षीय विकास बैंक विभिन्न भारतीय संरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में सहायक रहे हैं। भारत पिछले 10 वर्षों में छह बार विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार था। 2009 और 2018 के बीच, बैंक ने भारत को सड़क और बिजली संरचना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में 9.3 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान की। भारत में, संरचना के वित्तपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक के पोर्टफोलियो की राशि 9 बिलियन यू एस डॉलर थी। जिसमें से एक बड़ी हिस्सेदारी ऊर्जा (22.2%) और शहरी विकास (20%) के बाद परिवहन (40.7%) की ओर थी। भारत ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के साथ भी अपना सहयोग बढ़ाया, जिसने भारत में अपने निवेश को बढ़ाकर अब कुल मिलाकर 2.9 बिलियन यू एस डॉलर के साथ देश में वित्तपोषण किया है। इसके अतिरिक्त, भारत और जापान उत्तर-पूर्व में संरचना

परियोजनाओं के विकास पर एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं जिसके लिए 13000 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया है।

प्रभावी संरचना के वित्तपोषण के लिए सुझाव

- जी 20 को प्रदान किए गए उत्तम संरचना निवेश के सुझाव के अनुरूप, सरकार से इन सिद्धांतों को उनके शासन और कार्यान्वयन नीतियों में एकीकृत करने की अपेक्षा है।
- भारत को संरचना के लिए अपने पोर्टफोलियो को बनाने की आवश्यकता है और 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतराल को ख़त्म करना होगा।
- मेगा-संरचना परियोजनाओं के कारण प्रदूषण की घटनाओं को देखते हुए, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों की तर्ज पर विकसित करने की आवश्यकता है।
- संरचना के विकास के लिए भारत को एक समग्र ढांचे की आवश्यकता है। अधिकांश संरचना, रिटर्न को पुनः प्राप्त करने के लिए वित्तीय व्यवहार्यता उन्नत पर है। हालांकि, लोगों को केंद्रित करने की जरूरत है।
- यह इस संदर्भ पर है कि संरचना के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण में वृद्धि की जानी चाहिए। निजी निवेश का स्वागत है, संभावना है कि स्वामित्व और उपयोग प्रतिबंधित हो सकते हैं और सार्वजनिक रूप से सुलभ हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, एक संभावना है कि निजी वित्तपोषण भविष्य के जोखिमों को जन्म दे सकता है और अंततः ऋण में पड़ सकता है। उस मामले में सार्वजनिक वित्त सुरक्षित है और संपत्ति सुरक्षा जोखिम की संभावना है।
- संरचना नीतियों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो कि संरचना की परिधि में उत्पन्न हो जैसे कि संरचना के संचालन और प्रबंधन में रोजगार ।
- विकसित और उपयोग किए जाने वाले अधिकांश संरचना में गिरावट आती है, जिसके लिए निरंतर उन्नयन और समय-समय पर ऑडिटिंग की आवश्यकता होती है। कभी-कभी इस संरचना में पर्यावरणीय क्षति और संभावित रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका को खतरा होने की संभावना होती है। सामाजिक संगठनों और जनता के साथ उचित परामर्श आवश्यक है।
- विकास के प्रत्येक चरण में, किसी भी अवांछित बहिष्करण से बचने के लिए लिंग और हाशिए पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है।
- नि: शुल्क, पूर्व, सूचित सहमति (FPIC) प्रोटोकॉल को प्रक्रिया अनिवार्य किया जाना चाहिए, संरचना परियोजनाओं के चरणबद्ध तरीके से डिजाइन और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए ।
- संरचना परियोजनाओं का फोकस गुणवत्ता के पहलुओं को विकसित करने की ओर उन्मुख होना चाहिए जो दीर्घकालिक लाभ देते हैं और स्केलेबल समाधान प्रदान करते हैं
- खरीद और अनुबंधों पर खुली और पारदर्शी डेटा नीति विकसित की जानी चाहिए। संरचना परियोजनाओं को पटरी से उतारने और उन्हें बेकार करने वाले भ्रष्टाचार की प्रबल संभावना है। उन्हें प्रकटीकरण नीतियों द्वारा पारदर्शी होना चाहिए जो अपने आसपास के क्षेत्र में ट्रैकिंग परियोजनाओं में लोगों तक आसानी से पहुंच प्रदान करे ।
- अंत में, संरचना पर सिविल सोसाइटी की बातचीत को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना होगा। जबकि सिविल सोसाइटी के साथ एमडीबी इंटरफेस मजबूत है, वही राष्ट्रीय स्तर पर गायब है।

निष्कर्ष

जी 20 वैश्विक स्तर पर भव्य व्याख्यानोंका निर्माण कर रहा है, हालांकि देश स्तर पर सूक्ष्म कवरेज के लिए एक विशाल क्षेत्र की आवश्यकता है। भारत विभिन्न विकास अंतरालों को ख़त्म करने के लिए महत्वाकांक्षी रूप से प्रयासरत रहा है। फिर भी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कई गुणात्मक पहलू हैं जो एक तत्काल नीति सुधार, नवाचार और कई बार परिवर्तन की मांग करते हैं। यह बार-बार ऐसे उपायों के बारे में सोचता है जो इसकी नीति निर्माण को दिशा प्रदान करते हैं, हालांकि इसमें जमीनी हकीकत और अंतर्निहित मुद्दों के संज्ञान के साथ एक अलगाव है जो इन परियोजनाओं / कार्यक्रमों / योजनाओं की क्षमता को वापस रखता है। पुनरावर्ती घाटे की बारीकियों में जाये बिना परिमाणीकरण पर अत्यधिक निर्भरता रखी गई है और परिवर्तन के लिए न्यूनतम आग्रह दिखाया गया है। प्रभावी रूप से लक्ष्यों तक पहुंचने और लंबे समय तक चलने वाले परिणामों को उत्पन्न करने के लिए, व्यवहारिक पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए डिजिटल तकनीक, ट्रैकिंग और निरिक्षण उपकरण के लिए डेटा के व्यापक उपयोग की ओर प्रेरित करना चाहिए। फंडिंग पैटर्न के वर्तमान स्तरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बेंचमार्क तक विस्तारित करने की आवश्यकता है। यह शिक्षा और स्वास्थ्य में लंबे समय से चली आ रही मांग है जिस पर भारत वर्तमान में कम है। आदर्श स्तर तक पहुँचने के लिए प्रमुख रूप से मानव संसाधन और संरचना को तत्काल स्केलिंग-अप की आवश्यकता है। इन दो संकेतकों पर जीडीपी के तुलनात्मक रूप से भारत का अनुपात ब्रिक्स देशों से कम है। प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, कार्यान्वयन में लिंग को मुख्यधारा में लाने, नागरिक समाज संगठनों के माध्यम से क्षमता निर्माण और अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) बढ़ाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर एक ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। पहले से ही विधायी और शासन स्तरों में 1/3 महिला आरक्षण है। हालाँकि, सामान्य रोजगार में लिंग बहिष्कार के स्तर पर आंकड़ों, रुझानों और अनुमानों को देखते हुए पता नहीं लगाया जा सकता है, जो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने वाले कानून को लागू करने की आवश्यकता को दर्शाता है। समान रूप से महत्वपूर्ण सभी प्रकार के रोजगार में एक सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त वातावरण प्रदान करने की मांग है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती घटना हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए एक मजबूत कानून विकसित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है। इसके अतिरिक्त, रोजगार में मातृत्व से जुड़े बुनियादी ढांचे को रोजगार के सभी रूपों में अंतःस्थापित करने की आवश्यकता है। जलवायु के मोर्चे पर, यह 2015 में पेरिस सीओपी पर पहले से ही स्पष्ट था कि कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन लक्ष्य (एनडीसी), पेरिस समझौते के दीर्घकालिक 1.5°C तापमान लक्ष्य के अनुरूप होने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आईपीसीसी की विशेष रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वृद्धिशील चरणों पर भरोसा करने का अधिक समय नहीं है। जलवायु संकट के सामने, महत्वपूर्ण, साहसिक कार्य करना आवश्यक है। पहले से ही विलंबित कार्रवाई के साथ, वैश्विक उत्सर्जन को 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा को पूरा करने के लिए दस वर्षों में आधा करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से जलवायु संकट से जलवायु आपातकाल में स्थानांतरित हो गए हैं, सभी हितधारकों को और बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जीवाश्म ईंधन कंपनियों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को वापस लेने और नई और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त और अनुकूल शासन प्रदान करने के लिए दृढ़ और प्रगतिशील कदम उठाने होंगे। पर्यावरण से गंभीर रूप से जुड़े हुए समाज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और लोगों ने पहल की है जिसमें जलवायु के अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और समुदाय संचालित हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय स्तर पर इन तकनीकों में अंतर करने और अपनाने के लिए संवादात्मक तंत्र की कमी चिंता का कारण रही है। सरकार द्वारा संचालित अनुसंधान संस्थान, एनआईटीआई आयोग जैसे नीति चालकों को स्थानीय स्तर के नवाचारों पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें जलवायु संकट से बचने और सूक्ष्म स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करने की प्रवृत्ति है। संरचना को आर्थिक विकास और रोजगार-क्षमता के चालक के रूप में

देखे जाने के साथ-साथ नीतिगत निर्णयों में एक जैविक जुड़ाव तैयार करना होगा जो टिकाऊ, गुणवत्ता और पर्यावरणीय संरचना के लिए उपलब्ध हो। संरचना के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण के माध्यम से एक इकाई समृद्धि का समर्थन किया जाना चाहिए। जबकि फंडिंग गैप को कम करने के लिए निजी निवेश आवश्यक है, लेकिन लगातार यह माना जाता रहा है कि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे का स्वास्थ्य, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। बड़े पैमाने पर संरचना द्वारा उत्पादित जीएचजी के अधिकांश हिस्से के साथ एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण को नियोजन और कार्यान्वयन चरणों में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार, वास्तव में, यह सुनिश्चित करता है कि संरचना व्यावसायिक रूप से संचालित नहीं है और सामाजिक-विकास के पहलुओं को पूरा करता है। इसलिए सार्वजनिक वित्त विकास पहलों में निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जी 20 को निश्चित रूप से कराधान के आधार को बढ़ाने और बीईपीएस की जांच के लिए ओईसीडी ढांचे को लागू करने के माध्यम से सार्वजनिक वित्त के विस्तार के मार्ग पर स्थिर रहने के लिए बार-बार सिफारिश की गई है। इस दिशा में भारत के प्रयास महत्वपूर्ण और जोर देने वाले हैं|

सन्दर्भ

(1) वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2018: पीकिंग टुगेदर द पॉवर्टी पज़ल, 2018

(2) विश्व बैंक, दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस, 2019 पतन: बनाना (डी) केंद्रीकरण कार्य, 2019

(3) न्यू इंडिया के लिए रणनीति 75, एनआईटीआई अयोग, 2019

(4) भारत 2018 मानव विकास सूचकांक में 130 वें स्थान पर है, https://www.in.undp.org/content/india/en/home/sistentable-development/successstories/india-ranks-130-on-2018-uman-development-index .html

(5) ऑक्सफैम इंडिया असमानता रिपोर्ट, 2019

(6) भारत में स्थिति: सर्वेक्षणों और सर्वेक्षणों के लिए दैनिक संरचना पर आंकड़े: //www.soschildrensvillages.ca/news/p गरीबी-in.india-602

(7) तेंदुलकर समिति का अनुमान

(8) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2019

(9) भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र (CMIE), https://www.thehindu.com/business/Economy/india-unemployment-rate-3-year-high-cmie-data/article29855098.ece

(10) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 2018, https://www.indiatoday.in/education-today/jobs-and-careers/story/unemployment-growing-concern-indian-students-1384978-2018-2013

(11) ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2019, https://www.globalhungerindex.org/india.html

(12) https://www.who.int/ageing/g20-feb-2019.pdf

(13) वार्षिक रिपोर्ट, मोहफव, 2018, https://mohfw.gov.in/sites/default/files/02%20Chapteran2018-19.pdf

(14) देसाई एसबी, दुबे ए, जोशी बीएल, सेन एम, शरीफ ए, भारत में वमनमैन आर मानव विकास: संक्रमण के लिए एक समाज के लिए चुनौतियां। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; (2010)।

(15) 'इंडिया स्टेट-लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव ', 2019

(16) C20 पॉलिसी पैक दस्तावेज़, 2019

(17) http://rteforumindia.org/wp-content/uploads/2019/08/Year-9-Stocktaking-Report-RTE-Forum-draft.pdf

(18) http://rteforumindia.org/wp-content/uploads/2019/08/Year-9-Stocktaking-Report-RTE-Forum-draft.pdf

(19) प्रथम, सिविल सोसायटी संगठन

(20) एएसईआर रिपोर्ट, 2019

(21) संविधान (अस्सी-छठा संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-A को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में राज्य के रूप में इस तरह से सम्मिलित किया है। कानून द्वारा, निर्धारित कर सकते हैं। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, जो अनुच्छेद 21-ए के तहत परिकल्पित कानून का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को औपचारिक शिक्षा में संतोषजनक और न्यायसंगत गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है जो कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को संतुष्ट करता है।

(22) भट्टाचार्य, सांच्यान, आरटीई अधिनियम के दस साल: उपलब्धियों को फिर से देखना और अंतराल की जांच करना, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, 2019

(23) आरटीई के कार्यान्वयन में बड़ा अंतर है: CRY, https://www.cry.org/media/huge-gaps-v अदृश्य-in-implementation-of-rte-cry

(24) ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, PRS, https://www.prsindia.org/report-summaries/draft-national-education-policy-2019

(25) पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा पर भारत के बजट में सुधार हुआ है - लेकिन यह अभी भी टूलवॉट्स है: //www.businessinsider.in/niti-aayog-wants-education-budget-to-increase-further/articleshow-69941463.cms

(26) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर आरटीई फोरम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, https: //rteforumindia.org/press-conference-by-rte-forum-on-draft-national-education-policy/

(27) भारत का ऊर्जा संक्रमण: जीवाश्म ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा, ग्लोबल सब्सिडी पहल, 2017 के लिए सब्सिडी का मानचित्रण

(28) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन फैक्टशीट: भारत, क्लाइमेटलिंक, https://www.climatelinks.org/resources/greenhouse-gas-emissions-india

(29) भारत सरकार और स्थिति, 2008-09, https://cpcb.nic.in/wqm/RS-criteria-status.pdf में घोषित प्रतिद्वंद्वी स्ट्रेट

(30) जे.एस. काम्योत्रा और आर.एम. भारद्वाज, भारत में नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन, http://www.idfc.com/pdf/report/2011/Chp-20-Mances-Wastewater-Management-In-India.pdf

(31) आईयूसीएन

(32) यूएनडीपी, 2019

(33) जलवायु परिवर्तन: भारत से परिप्रेक्ष्य https://www.undp.org/content/dam/india/docs/undp_climate_change.pdf

(34) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(35) अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस, http://isolaralliance.org/AboutISA.aspx

(36) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा में टिप्पणी, https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2018-10-02/remarks-1st-general-assembly-international-solar-alliance

(37) हम ग्रह की देखभाल करते हैं, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, https://mnre.gov.in/sites/default/files/uploads/MNRE-4-Year-Achievement-Booklet.pdf

(38) इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, 2017

(39) एनआईटीआई अयोग, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-08/CWMI-2.0-latest.pdf

(40) CSE रिपोर्ट, 2017, https://www.downtoearth.org.in/news/air/air-pollution-in-2016-reduced-life-expectancy-of-delhiites-by-10-years-62196

(41) https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-india

(42) PUR, INECC, 2016, http://inecc.net/old/PublicFiles/Strengthening_climate%20resilience_for%20_the_poor.pdf के लिए जलवायु लचीलापन मजबूत करना

(43) जी -20। जी 20 लीडर्स की घोषणा: निष्पक्ष और सतत विकास के लिए बिल्डिंग कंसर्न, 2018।

(44) https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/03/08/working-for-women-in-india

(45) विश्व बैंक समूह, "श्रम बल भागीदारी दर, पुरुष (पुरुष जनसंख्या का % 15+) (भारत में मॉडल ILO अनुमान), (सितंबर 2019)

(46) 50% भारत का कार्य-ए

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- भारत में नागरिक समाज संगठनों के संदर्भ में स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- फाइनेंशिंग सस्टेनेएबल डेवलपमेंट सिविल सोसाइटी परस्सपैक्टिव ऑन एशियन इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (अंग्रेजी और हिन्दी)
- स्टडी ऑन कैपासिटी बिल्डिंग एंड नीड ऐसैसमेंट ऑफ वालंटरी ऑग्रेनाइजेशनस (अंग्रेजी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाने की दिशा में: एक अध्ययन रिपोर्ट
- इंडिया–अफ्रीका पार्टनरशिपः ए सिविल सोसाइटी परस्पैक्टिब (अंग्रेजी)
- उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए एसएससी में विकास वित्त और सहयोग (अंग्रेजी और हिन्दी)
- इन्कम टैक्स एक्ट फार दी वालंटरी सैक्टर – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- मॉडल पॉलिसी रजिस्ट्रेशन – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राइमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह
- भारत की विकास सहयाताः रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ
- जी 20 में भारत की भूमिकाः एक नागरिक समाज दृष्टिकोण
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राइमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)

हेनरिक बॉल फाउंडेशन के बारे में

हेनरिक बोलस्टिफटंग / हेनरिक बोल फाउंडेशन एक जर्मन फाउंडेशन एवं ग्रीन राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा है जिसने दुनिया भर में समाजवाद, उदारवाद और रूढ़िवाद की पारंपरिक राजनीति की प्रतिक्रिया को विकसित किया है। हम एक ग्रीन थिंक-टैंक और अंतर्राष्ट्रीय नीति नेटवर्क हैं; हमारे मुख्य सिद्धांत है पर्यावरण और स्थिरता, लोकतंत्र और मानव अधिकार, आत्म निर्धारण और न्याय । हम लैंगिक लोकतंत्र पर विशेष जोर देते हैं, जिसका अर्थ है सामाजिक मुक्ति और महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार। हम सांस्कृतिक और जातीय अल्पसंख्यकों के लिए समान अधिकारों के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। अंत में, हम अहिंसा और सक्रिय शांतिप्रद नीतियों को बढ़ावा देते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हम दूसरों के साथ रणनीतिक भागीदारी चाहते हैं जो हमारे मूल्यों को साझा करती हैं।

हमारा नाम, हेनरिक बोल, वे व्यक्तित्व मूल्य हैं जिनके लिए हम खड़े हैं: स्वतंत्रता सुरक्षा, नागरिक साहस, सहिष्णुता, खुली बहस, और कला एवं संस्कृति का विचार मूल्यांकन एवं कार्रवाई के स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में।

भारत में हमारा संपर्क कार्यालय 2002 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। सरकारी और गैर सरकारी स्थानीय परियोजना भागीदारी के साथ काम करना, हम हरी सोच की विविधता को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचना संवाद प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के लोकतांत्रिक शासन का समर्थन करते हैं ।

वाणी वालेंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) का संक्षिप्त परिचय

वाणी स्वैच्छिक विकास संस्थाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। इस समय वाणी के 540 सदस्य हैं जिनकी भारत की पहुंच 10000 स्वैच्छिक विकास संस्थाओं तक है। वाणी के सदस्यों में जीमनी स्तर की संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक शामिल हैं। वाणी के सदस्य देश के कुछ सबसे दूर–दराज के क्षेत्रों में अनेक प्राथमिकतापूर्ण विकास मुद्दों पर काम करते हैं जैसे कि शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मौसम परिवर्तन, जल और स्वच्छता, आपातकालीन प्रत्युत्तर और तैयारी, कृषि, निर्धनता, आदि। वर्ष 2017–18 में हमारे नेटवर्क ने बच्चों, विगलांगों, महिलाओं, वृद्धों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, विपदा पीड़ितों, बेरोजगारों, युवाओं, एलजीबीटी समुदाय के लोगों, यौन कर्मियों सहित समाज असुरक्षित और सीमांमीकृत समूहों के 32 मिलियन लोगों तक पहुंच बनाई। अपने प्रयासों और रणनीतियों के माध्यम से वाणी का उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर भी एक मजबूत नागरिक समाज का निर्माण करना है।

वाणी की स्थापना स्वैच्छिक कार्य को प्रोन्नत करने और मूल्य–आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई को पोषित करके स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए स्थान निर्मित करने के उद्देष्य के साथ की गई थी। वाणी के हस्तक्षेप बाहरी और आंतरिक समर्थकारी वातावरण को मजबूत बनाने पर केंद्रित रहे हैं। वाणी साक्ष्य–आधारित एडवोकेसी करती है जिसमें नियमनकारी ढांचे और संसाधन जनन शामिल हैं। यह उद्देश्य हासिल करने के लिए वाणी सरकार, निजी क्षेत्र, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं तथा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करती है। वाणी परस्पर संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रमों और सूचना प्रचार–प्रसार के माध्यम से लचीलापन निर्मित करने और जवाबदेही, पारदर्शिता और अनुपालन को प्रोन्नत करने की दिशा में कार्य करती है। वाणी साक्ष्य–आधारित शोध आयोजित करके, अध्ययनों, लेखों और रिपोर्टों का प्रकाशन करके न केवल राज्य स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तर पर भी एक संसाधन केंद्र बनने के लिए प्रयासरत है।

वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट,
सैक्टर–8, द्वारका, नई दिल्ली 110 077
फोन : 011–40391661, 40391663, टेलिफैक्सः 011–49148610
ईमेलः info@vaniindia.org, वेबसाइटः www.vaniindia.org